

पटना में दिनांक-30 जून, 2015 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | श्री मुकेश कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, चन्द्रदेई अनुमंडल, अररिया, सम्प्रति सहायक अभियन्ता (निलंबित), मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संशोधन से संबंधित नियमावली 2007 के नियम 14 (XI) में उल्लेखित दण्ड "सेवा से बर्खास्त" करने के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

पथ निर्माण विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर-सन्हौला पथ के कि०मी० 0 से 18.75 तक (कुल 18.75 कि०मी० पथ लंबाई में) क्रॉस ड्रेन कार्य, पथ फर्निचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं संधारण कार्य सहित पथ का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य कुल 4053.11 लाख (चालीस करोड़ तिरपन लाख ग्यारह हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

पथ निर्माण विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | विभागीय ज्ञापांक-1305 (S) दिनांक-12.02.2015 द्वारा निर्गत संकल्प को वापस लेने के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

पथ निर्माण विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | दरभंगा जिलान्तर्गत बलिया- ककोदा- देवना- राजखरवार-झंझारपुर पथ (एन०एच०-57 तक) के 18वें कि०मी० में कमला नदी के सुतरिया घाट पर पहुँच पथ निर्माण कार्य, बचाव कार्य एवं भू-अर्जन कार्य सहित 12x24.75m आकार का आर०सी०सी० उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य कुल 4048.70 लाख (चालीस करोड़ अड़तालीस लाख सत्तर हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

पथ निर्माण विभाग

5. मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर के निकट पुराने राष्ट्रीय उच्च पथ-57 के कमला बलान नदी पर पहुँच पथ निर्माण कार्य, बचाव कार्य एवं भू-अर्जन कार्य सहित 9x24.00m आकार का आर०सी०सी० उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य कुल 4197.05 लाख (ईकतालीस करोड़ सन्तानवे लाख पाँच हजार) रुपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
5. स्वीकृत।

वित्त विभाग

6. कर्मचारियों/पदाधिकारियों की हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश स्वीकृत कर विनियमित करने के संबंध में।
6. स्वीकृत।

विधि विभाग

7. राज्य के 03 (तीन) अनुमंडलीय न्यायालय यथा जगदीशपुर, पीरो (भोजपुर, आरा) एवं बेलसंड (सीतामढ़ी) के लिए वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कोटि के अराजपत्रित कर्मचारियों के कुल-114 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
7. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

8. "वित्त रहित शिक्षा नीति" के समाप्ति के उपरान्त स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों (इंटर महाविद्यालय) को ससमय अनुदान उपलब्ध कराने हेतु पूर्व निर्धारित नीति का सरलीकरण कंडिका-7 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप करने के संबंध में।
8. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9. राज्य के सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत, मदरसा, संस्कृत (सहायता प्राप्त) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पोशाक, साईकिल, प्रोत्साहन/मेधावृत्ति एवं छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पूर्व वर्षों की भाँति 75 प्रतिशत उपस्थिति को यथावत रखने तदनुसार दिनांक-10.02.15 के मंत्रिपरिषद् के निर्णय को संशोधित करने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को एक बार (One Time) शिथिल करते हुए योजनाओं का वित्तीय लाभ, छात्र-छात्राओं को वितरित किए जाने के संबंध में।
9. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

11. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-33 पर दर्ज -“तांती (ततवा)” जाति को विलोपित करने के संबंध में।
11. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

12. वित्तीय वर्ष 2015-16 में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना को गैर योजना मद के अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित कुल रु० 1,93,63,000/- (एक करोड़, तिरानवे लाख, तिरेसठ हजार) में से रु० 1,43,80,363.42/- (एक करोड़, तेतालिस लाख, अस्सी हजार, तीन सौ तिरेसठ रुपये बयालिस पैसे) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।
12. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2015-16 में अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना को गैर योजना मद के अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित कुल रु० 1,82,58,000/- (एक करोड़, बयासी लाख, अठावन हजार) में से रु० 1,14,78,284/- (एक करोड़ चौदह लाख, अठहत्तर हजार, दो सौ चौरासी) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।
13. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

14. बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तों) विनियमावली, 1960 के विनियम-4 (ख) में प्रावधानित अंश को प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
14. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

15. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-37 पर दर्ज “दांगी” जाति को विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-127 पर स्वतंत्र रूप से “दांगी” जाति को शामिल करने के संबंध में।
15. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

16. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संशोधित व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2,80,255 इंदिरा आवास का निर्माण सहित योजना के सभी घटकों के कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय का भार केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन करने की स्वीकृति के साथ-साथ केन्द्रांश की राशि 1032.03 करोड़ के अनुरूप राज्यांश के रूप में 1032.03 करोड़ रुपये वहन करने की स्वीकृति एवं लाभुकों को सहायता राशि दो समान किशतों में e-FMS के माध्यम से अंतरित करने की स्वीकृति तथा वर्तमान में बजटीय उपबंध एवं उपलब्ध उद्व्यय के अनुरूप निकासी एवं व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।

16. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17. गोपालगंज जिलान्तर्गत अंचल-कटैया के मौजा-रानीपुर निजामत, थाना नं०-450, खाता सं०-24, 99, 85, खेसरा सं० क्रमशः-105, 157, 173, रकबा क्रमशः-11 डि०, 07 डि०, 32 डि० सहित कुल रकबा-50 डि० भूमि, जो प्रखंड परिसर के अन्तर्गत है, पर विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु 76000.00 रु० प्रति डि० की दर से 3800000.00 रु० सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् रु० 4750000.00 रु० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल-8550000.00 रु० (पचासी लाख पचास हजार रु०) के भुगतान पर नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

17. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल-ठकराहाँ के मौजा-ठकराहाँ, थाना नं०-433, खाता सं०-1195, खेसरा सं०-1904/1, रकबा-0.50 एकड़ प्रखण्ड कार्यालय, ठकराहाँ के लिए पूर्व अर्जित भूमि, जिसकी जमाबन्दी सं०-4226 है, के बाजार मूल्य 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) रूपए के समतुल्य सलामी एवं सलामी के 2 प्रतिशत आवासीय लगान के 25 गुणा अर्थात् 80,000/- (अस्सी हजार) रूपए पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) रूपए के भुगतान पर राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

18. स्वीकृत।

वित्त विभाग

19. लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र, पटना के स्थापना आदि व्ययों के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि 188.15 (एक करोड़ अठासी लाख पन्द्रह हजार) लाख रुपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं वर्तमान में 97.25 (सन्तानवे लाख पच्चीस हजार) लाख रुपये की विमुक्ति एवं उक्त केन्द्र में नियुक्त सभी स्तर के कर्मियों को राज्य सरकार के अनुरूप महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।
19. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

20. वित्तीय वर्ष 2015-16 में उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना को गैर योजना मद के अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित कुल रू० 2,39,76,000/- (दो करोड़, उनचालिस लाख, छिहत्तर हजार) में से विषय शीर्ष-31 04 सहायक अनुदान --वेतन मद में रू० 1,46,39,714/- (एक करोड़ छियालिस लाख, उनचालिस हजार, सात सौ चौदह) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।
20. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

21. स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी (श्रेणी-04) में निबंधन संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-13589 (एस) दिनांक-13.12.11 की कंडिका-3 एवं बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका-4(क) एवं 7 में संशोधन के संबंध में।
21. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

22. राज्य के सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के अधीन वैसे कार्यों, जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 15.00 लाख (पन्द्रह लाख) या उससे कम है, से संबंधित अंचल स्तर पर वर्षवार कुल कार्यों का 50 प्रतिशत कार्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के संवेदकों के लिए आरक्षित करते हुए उक्त कोटि के अन्तर्गत ही प्राप्त निविदा के माध्यम से कार्यों को आवंटित करने के संबंध में।
22. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

23. "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से दो लाख पचास हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले बिहार के नागरिकों के असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट उपबंधित राशि ₹ 40,00,00,000/- (चालीस करोड़) रुपये के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
23. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

24. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्राचार्य के रिक्त पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित पाँच अभ्यर्थियों यथा (i) डा० बरूण कुमार राय (ii) डा० अनिल कुमार सिंह (iii) डा० कुमारी अणिमा (iv) डा० चन्द्रशेखर सिंह एवं (v) डा० फजले सरवर की शैक्षणिक योग्यता के संस्थागत/ परीक्षा समिति से जाँच कराने तथा इनके चरित्र एवं पूर्व-वृत्त के सत्यापन हेतु संभावित विलम्ब के आलोक में प्राचार्य के पद पर इनकी औपबंधिक नियुक्ति करने की स्वीकृति के संबंध में।
24. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

25. बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियमावली, 2015 की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव।
25. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

26. नगर विकास एवं आवास विभाग के राज्य योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा निष्पादन की शक्ति की सीमा में वृद्धि के संबंध में।
26. स्वीकृत।